Ref No. NESBUS/2025 Date: 30.09.2025

<u>मानक परिचालन प्रक्रिया / STANDARD OPERATING PROCEDURES</u>

एनएचपीसी एमप्लोयीस सहकारी बचत और उधार समिति (NESBUS) के प्रबंधन समिति ने सर्वसम्मति से इसके परिचालन से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं (SOPs) पर अपनी सहमति दी है जिसका पालन कृपया दिनांक 01.10.2025 से समिति के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा ;

1. सभी सदस्य कृपया ध्यान रखेंगे की इस वेबसाइट में आपके खाते का आरंभिक शेष (Opening Balance) दिनांक 01.04.2023 से लिया गया है।

2. आधिकारिक रूप से समिति के वेबसाइट शुरू होने के बाद सभी ऋण आवेदन केवल वेबसाइट के मधायम से ही प्राप्त किए जाएंगे।

3. वर्ष 2026-27 के लिए नए सदस्य बनने हेतु प्रक्रिया दिनांक 01.04.2026 से शुरू होगी जिसकी सूचना समय से पूर्व दी जाएगी।

4. आरसीएस, नई दिल्ली के परिपत्र के अनुसार <u>अब आपकी समिति 5 लाख तक लोन दे सकती है जिसका भुगतान 48 मासिक किस्तों में सदस्यों को करना होगा।</u> यह सुविधा दिनांक 01.10.2025 से लागू किया जाएगा। ध्यान रहे अब ऋण आवेदन में स्युरीटी चार सदस्यों को देना होगा तथा सभी स्युरीटी देने वाले का समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

5. ऋण आवेदन में स्युरीटी देने वाले सदस्य केवल दो स्युरीटी ही दे सकेंगे।

6. ऋण आवेदन पत्र में आवेदक को अपने द्वारा नामित (Nominee) (परिवार या किसी भी परिचित वयस्क सदस्य) का पूर्ण विवरण देना अनिवार्य होगा (New Form Enclosed).

7. सदस्यों की यह जिम्मेवारी होगी कि हर वित्त वर्ष के दौरान कम से कम दस CD (Compulsory Deposit) का भुगतान उनके द्वारा समिति को किया जाए ताकि वे वार्षिक उपहार लेने के पात्र हो सकें। Non-ERP Location के सदस्यों से इस संबंध में विशेष ध्यान अपेक्षित है।

8. Non-ERP Location के सदस्य अपने Share Money, Compulsory Deposit, Loan Repayment etc. का भुगतान कृपया हर महीने के पहले सप्ताह तक अवश्य रूप से समिति के खाते में कर देंगे। हालाकि अब Non-ERP इकाई से भी उक्त सारे कटौती आपके वेतन से सीधा समिति के खाते में किया जा रहा है लेकिन जो सदस्य जो Non-ERP लोकेशन में पदस्थापित होंगे वो कृपया उक्त परियोजना के वित्त विभाग को स्वयं अपने उक्त सभी भुगतनों से संबंधित ब्योरा देंगे ताकि उनके पक्ष का भुगतान समिति को निर्बाध रूप से उस परियोजना के वेतन विभाग द्वारा किया जा सके।

9. समिति से ऋण आवेदन करने वाले ऐसे सदस्य जिनकी निगम में सेवाकाल तीन वर्षों (03 years) से कम रह गई हो, वे कृपया समिति को ऋण का भुगतान निगम की सेवा समाप्ती से कम से कम तीन (03 months) माह पूर्व करेंगे और तदनुसार उनकी EMI निर्धारित की जाएगी।

10. समिति के सदस्यों की निगम की सेवाओं से सेवामुक्ति / त्यागपत्र / स्वैछिक त्याग / सेवारत मृत्यु / सदस्य रद्दता आदि (Member's Retirement/ Resignation/ Voluntary Withdrawal/ Members Demise / Members Termination etc. के संबंध में यह साफ किया जाता है कि समिति से अंतिम बकाया राशि का भुगतान उनके द्वारा लिए गए ऋण की राशि (यदि कोई देय हो) के समायोजन (Adjustment) के उपरांत एक माह के बाद ही किया जाएगा (New Form Enclosed).

11. उपरोक्त (बिन्दु संख्या 11) में वर्णित किसी भी स्थिति में समिति के सदस्यों को एक Manual अनापत्ति पत्र (NOC) भी महासचिव (General Secretary) से कृपया प्राप्त करना होगा (New Form Enclosed).

12. सभी सदस्य यह स्वयं भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मासिक राशि (Compulsory Deduction) व ऋण का भुगतान (Loan Repayment), समिति को निर्बाध रूप से किया जा रहा है। इस बिन्दु पर Non-ERP Location के सदस्यों से अवश्य ही विशेष ध्यान अपेक्षित है तथा वे बराबर अपने खाता को ऑनलाइन sehkaribachat.com वैबसाइट पर चेक करते रहेंगे।

13. समिति के सदस्यों द्वारा ऋण की राशि का भुगतान मासिक रूप से नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज के साथ ऋण की वसूली की जाएगी।

14. सदस्य अपनी निजी शिकायत, ब्योरा के साथ लिखित रूप से समिति के ईमेल (sehkaribachat2023@gmail.com) के माध्यम से भी भेज सकते हैं। Management Committee के सदस्यों के निजी नंबर पर निजी शिकायत करने से कृपया सभी सदस्य सख़्ती से परहेज करें। बहरहाल आम मुद्दे (Common Issues) NESBUS Whats App Group पर उठाया जा सकता है।

प्रबंधन समिति आप सभी सदस्यों से उपरोक्त के तत्काल प्रभाव से अनुपालन में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखता है ताकि समिति के परिचालन को और पारदर्शी व उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके।

प्रबंधन समिति
एनएचपीसी एमप्लोयीस सहकारी बचत और उधार समिति